# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 16/2018

| अपीलांट्स– | *बनाम* | रेस्पोडेंट्स – |
|---|---|---|
| 1. पीराराम पुत्र दीपाराम<br>2. रतनाराम पुत्र दीपाराम फोत के कायम मुकाम–<br>2.1 शंकरलाल पुत्र रतनाराम<br>2.2 पुरखाराम पुत्र रतनाराम<br>2.3 लेहरों देवी पत्नी रतनाराम<br>3. चेतनराम पुत्र दीपाराम<br>4. भींयाराम पुत्र दीपाराम<br>5. भगाराम पुत्र गोरधनराम<br>6. नानगाराम पुत्र गोरधनराम<br>7. जेठाराम पुत्र गोरधनराम<br>जाति जाट निवासी रामदेवपुरा (आरंग) तहसील शिव जिला बाड़मेर | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव |

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 189 दिनांक 03.12.2010 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री चैनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

राजस्व अपील सं. 15/2018

| अपीलांट्स– | *बनाम* | रेस्पोडेंट्स – |
|---|---|---|
| 1. राहूराम पुत्र कालूराम<br>2. मूलाराम पुत्र कालूराम<br>3. अचलाराम पुत्र कालूराम<br>4. तेजाराम पुत्र कालूराम | | राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव |

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. सिगरती बेवा कालूराम
6. पीराराम पुत्र दीपाराम
7. रतनाराम पुत्र दीपाराम फौत
   के कायम मुकाम
7.1 शंकरलाल पुत्र रतनाराम
7.2 पुरखाराम पुत्र रतनाराम
7.3 लेहरों देवी पत्नी रतनाराम
8. चेतनराम पुत्र दीपाराम
9. भींयाराम पुत्र दीपाराम
10. नखताराम पुत्र कालूराम

जाति जाट निवासी रामदेवपुरा (आरंग) तहसील शिव जिला बाड़मेर

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 190 दिनांक 03.12.2010 जो तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।**

उपस्थिति :–
1. श्री चैनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

## निर्णय

दिनांक : 27 / 08 / 2019

प्रस्तुत दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु अंतर्निहित होने से इनका निस्तारण इस संयुक्त निर्णय के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

2. प्रस्तुत अपीलों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के अंतर्गत ग्राम पंचायत आरंग में आयोजित शिविर दिनांक 03.12.2010 को खातेदारान पीराराम, रतनाराम, चेतनराम, भींयाराम पिसरान दीपाराम, भगाराम, नानगाराम, जेठाराम पिसरान गोरधनराम कौम जाट साकिन रामदेवपुरा ने शिविर प्रभारी तहसीलदार शिव के समक्ष कृषि जोत विभाजन एग्रीमेंट प्रस्तुत कर ग्राम रामदेवपुरा के खसरा नम्बर 451 / 257 रकबा 120–00 बीघा व खसरा नम्बरा 450 / 257 रकबा 120–00 बीघा भूमि का आपसी सहमति अनुसार बंटवारा करने का निवेदन किया जिस पर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहसीलदार शिव द्वारा हलका पटवारी आरंग से मौका कब्जा एवं रेकर्ड की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत विभाजन एग्रीमेंट स्वीकार कर नामान्तरकरण खोलने हेतु हलका पटवारी को पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03.12.2010 द्वारा निर्देशित किया गया। इस आदेश की पालना में हलका पटवारी आरंग ने नामान्तरकरण संख्या 189 दायर कर पुनः तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उसी दिन स्वीकार कर लिया। तहसीलदार शिव द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील संख्या 16/18 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार खातेदारान राहूराम, मूलाराम, अचलाराम, तेजाराम पिसरान कालूराम, सिगरती पत्नि कालूराम, पीराराम, रतनाराम, चेतनराम, भींयाराम पिसरान दीपाराम कौम जाट साकिन देह द्वारा मौजा रामदेवपुरा के खसरा नम्बर 452/257 रकबा 66-00 बीघा के विभाजन हेतु एग्रीमेंट प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार शिव द्वारा पक्षकारान की सहमति अनुसार स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु हलका पटवारी को पृष्ठांकन आदेश दिनांक 03.12.2010 द्वारा निर्देशित किया गया। हलका पटवारी ने उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 190 दायर कर पुनः तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उसी दिन स्वीकृत कर दिया। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 190 के विरूद्ध अपील संख्या 15/18 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट्स की अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मूल मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलकर्तागण एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाया गया। इसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा दायर नामान्तरकरण सं. 189 एवं 190 माफिक विभाजन एग्रीमेंट दायर किये गये हैं तथा इसी अनुसार जमाबन्दी मे खातेदारी विभाजन अंकित कर खाता अलग-अलग कायम कर दिये किन्तु नक्शा लट्ठा ट्रेस में अंकन करते समय पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जा से विपरित तरमीम गलत दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार गलत तरमीम होने से सभी अपीलांट्स के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है तथा गलत तरमीम होने से ढाणियां, टांके आदि भी एक दूसरे के हिस्से मे दर्ज हो गये हैं, इसलिए नामान्तरकरण आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निरस्त हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2010 से समस्त अपीलांट्स के हितों व हकूकों पर प्रभाव नहीं पड़े इसलिए उक्त नामान्तरकरण सं. 189 व 190 खारिज कर उक्त सहमति बंटवाड़ा का नक्शा अनुसार लट्ठा ट्रेस में अंकन करने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन आपसी सहमति से पारित करवाया गया हैं। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन नक्शा तस्दीक कर हल्का पटवारी को रेकर्ड मे अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। राजस्व रेकर्ड मे अपीलाधीन नामान्तरकरण मे माफिक विभाजन एग्रीमेंट अंकन किया गया हैं तथा पुश्त पर विभाजन नक्शा भी अंकित किया गया है जो सही अंकन हैं। इस आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई हैं। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह दोनो अपीलें सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है, जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रामदेवपुरा के खसरा नम्बर 451 / 257 रकबा 120—00 बीघा व खसरा नम्बरा 450 / 257 रकबा 120—00 बीघा भूमि का विभाजन एग्रीमेंट खातेदारान पीराराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 189 तहसीलदार द्वारा माफिक विभाजन एग्रीमेंट तस्दीक किया गया हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 452 / 257 रकबा 66—00 बीघा भूमि का विभाजन एग्रीमेंट खातेदारान राहुराम व अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 190 माफिक विभाजन एग्रीमेंट तस्दीक किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या नामान्तरकरण स्वीकृति में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है किन्तु अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन हैं कि उक्त नामान्तरकरणों की पालना मे राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस मे तरमीम गलत अंकित हो जाने से पक्षकारान के हिस्सा व कब्जा—काश्त मे भिन्नता आ गई है। ऐसे मे जब स्वंय अपीलांट्स अपीलाधीन नामान्तरकरणों को सही होना स्वीकार करते हैं तो फिर उन्हे इसके विरूद्ध यह अपीलें प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नही हैं। यदि इन नामान्तरकरणों के क्रम मे नक्शा लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम गलत होना मानते हैं तो नियमानुसार धारा 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत माफिक विभाजन एग्रीमेंट तरमीम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

भू–अभिलेख अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। इस आधार पर हस्तगत दोनो ही अपीलें सारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह दोनो अपीलें सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर